प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 46/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 01 अगस्त, 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों" विषय पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 19 मार्च, 2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के 18 शहरों/ कस्बों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार के लिए एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी करने के उद्देश्य से आरक्षित मूल्य पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी हैं। एमआईबी ने इन शहरों के लिए एक नई श्रेणी 'ई' शुरू करने का निर्णय लिया है। एमआईबी ने यह प्रस्ताव दिया है कि प्रभावी विकिरणित शक्ति (ईआरपी) को छोड़कर श्रेणी 'डी' शहरों के लिए लागू सभी तकनीकी पैरामीटर श्रेणी 'ई' शहरों पर लागू हो सकते हैं। एमआईबी ने श्रेणी 'ई' के लिए 750 वाट से 1 किलोवाट तक ईआरपी प्रस्तावित किया है।

3. एमआईबी ने भादूविप्रा से बिलासपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा) और रुद्रपुर (उत्तराखंड) शहरों के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा करने का भी अनुरोध किया है।

4. तदनुसार, यह परामर्श पत्र एफएम चरण-III नीति के तहत एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों के निर्धारण पर हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों को जानने के लिए तैयार किया गया है । उक्त परामर्श पत्र पर हितधारकों से दिनांक 29 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। यदि कोई प्रति-टिप्पणियाँ हों, तो उन्हें दिनांक 12 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

6. परामर्श पत्र का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

******